

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1430 /2022 दिनांक : 21.04.2022

श्रीमती शाइस्ता लोधी (RJ1073), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट. प्रकरण) कम-02, जोधपुर महानगर को दिनांक 04.04.2022 से 08.04.2022 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 02.04.2022 से 03.04.2022 एवं 09.04.2022 से 10.04.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती लोधी की अनुपस्थिति में विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट. प्रकरण) कम-03, जोधपुर महानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.प्रकरण) कम-02, जोधपुर महानगर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)  
दिनांक 21.04.2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/61/2016/ 3139

दिनांक 21.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 2495 दिनांक 11.04.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती शाइस्ता लोधी (RJ1073), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट. प्रकरण) कम-02, जोधपुर महानगर ।
4. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.प्रकरण) कम-02, जोधपुर महानगर ।
5. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.प्रकरण) कम-03, जोधपुर महानगर ।

21.4.2022  
सहायक रजिस्ट्रार